महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई 3 मई, 2005

सं. टीएएमपी/85/2003-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, हाल्दिया डॉक काम्प्लैक्स में कोलकाता पत्तन न्यास के बर्थ सं. 12 में प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने हेतु टीएम इन्टरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से संबंधित प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार बंद करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/85/2003-केओपीटी

टी इन्टरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड .... आवेदक

आदेश

(अप्रैल, 2005 के 25वें दिन पारित)

यह प्रकरण हाल्दिया डॉक काम्प्लैक्स स्थित कोलकाता पत्तन न्यास के बर्थ सं. 12 में प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु टीएम इन्टरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (टीएमआईएलएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. संदर्भित प्रस्ताव को प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस पर आगे कार्रवाई की गई।

3. इतने में ही, टीएमआईएलएल ने दिनांक 18 अप्रैल, 2005 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि वह प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों के प्रकाश में अपने प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करना चाहता है और उसने इस प्रकार का संशोधित प्रस्ताव 30 जून, 2005 तक दाखिल करने का अनुरोध किया है।

4. पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अन्तर्गत प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शी जारी किए हैं। एमएसआरटीएच से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र में, प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों को अधिसूचित करवाया है। टीएमआईएलएल के लिए यह जरूरी है कि वह, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके प्रस्ताव में संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों का पालन किया गया है, अपने प्रस्ताव पर एक बार और नजर डाल ले।

5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए कारणों से, यह प्राधिकरण टीएमआईएलएल के प्रशुल्क प्रकरण को बंद करता है और टीएमआईएलएल को, प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शियों का अनुपालन करते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव 31 मई, 2005 तक दाखिल करने का निदेश देता है।

6. तथापि, इसे किसी ऐसी वर्तमान प्रशुल्क व्यवस्था के प्रति इस प्राधिकरण का आकस्मिक अनुमोदन नहीं मान लेना चाहिए जिसे टीएमआईएलएल द्वारा अपनाया जा सकता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असा.]